कार्यालयः– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–01, किशनगढ़ जिला अजमेर।

निविदा क्रमांक व दिनांक– 01/19.11.26

यू.बी.एन नम्बर– DDA2627 SSLB00008

–::फोटो स्टेट कार्य हेतु निविदा::–

अजमेर न्यायक्षेत्र मे किशनगढ मुख्यालय पर स्थित नकल शाखा मे प्रतिलिपियो हेतु फोटो स्टेट कार्य दर संविदा वर्ष 2027 के लिए राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2012 व 2013 के अनुसरण में मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र मय विवरण कार्यालय समय में लेखा शाखा में केशियर से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किए जा सकते है।

क्र. स.	विवरण	कार्यावधि	अनुमानित राशि	धरोहर राशि(2 प्रतिशत)	प्रतिभूति राशि (5 प्रतिशत)	निविदा शुल्क	निविदा विक्रय तिथि	निविदा प्राप्ति तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि
1	केन्द्रीयकृत नकल शाखा मे फोटोस्टेट कार्य	वर्ष 2027	183900/–	3678/–	9195/–	200/–	दिनांक 19.11 2026 से दिनांक 03.12 2026 को दोपहर 12:00 बजे तक	दिनांक 04.12. 2026 को दोपहर 1:00 बजे तक	दिनांक 04.12 2026 को साय 3:00 बजे

निविदाएं दिनांक 19.11.2026 से दिनांक 03.12.2026 को मध्याह्न 12:00 बजे तक बेची जाकर दिनांक 04.12.2026 को अपराह्न 01:00 बजे तक प्राप्त की जावेगी तथा प्राप्त निविदाएं दिनांक 04 12 2026 को ही सायं 03:00 बजे उपस्थिति निविदायें/प्रतिनिधियो के समक्ष अद्योहरताक्षरकर्ता के कार्यालय मे खोली जायेगी। निविदा का विस्तृत विवरण http://ajmer.dcourts.gov.in व http://sppp.rajasthan.gov.in शर्ते विभाग की वेबसाइट पर भी देखी जा सकेगी। वेबसाइट से फोर्म लेने की दशा में फार्म जमा कराते समय उसमें निविदा प्रपत्र मूल्य 200/– रूपये व धरोहर राशि नकद अथवा डी डी जो कि अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–01, किशनगढ जिला अजमेर के पक्ष में देय हो के नाम से बनाया जाकर निविदा के साथ अवश्य लगावें अन्यथा निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

19/11/26

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–01
किशनगढ जिला अजमेर।

क्रमांकः– 346 - 350 दिनांकः– 19/11/26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर।
2. प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 01, किशनगढ।
3. सिस्टम ऑफिसर, कार्यालय हाजा को विभागीय पोर्टल http://ajmer.dcourts.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
4. प्रोग्रामर ग्रेड–प्रथम, कार्यालय हाजा को राजस्थान के पोर्टल न http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड किशनगढ न्यायालय परिसर/ उपखण्ड कार्यालय, किशनगढ/नगर परिषद, किशनगढ/ मैन चौराहा मदनगंज किशनगढ।

19/11/26

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–01
किशनगढ जिला अजमेर।

निविदा की शर्तें

निविदादाता को निम्नांकित शर्तें पूर्ण करना आवश्यक है :–

1. फोटो स्टेट कॉपियर्स प्रतिष्ठान लाईसेंसधारी अथवा रजिस्टर्ड होना चाहिए।
2. सफल निविदादाता को फोटोस्टेट कार्य करने हेतु जिला न्यायालय परिसर, किशनगढ़ में कक्ष उपलब्ध कराया जावेगा। उक्त कक्ष में बिजली का कनेक्शन निविदादाता को स्वंय के खर्चे पर लगवाना होगा तथा निविदा अवधि समाप्ति पर बिजली कनेक्शन हटवाने की जिमेदारी भी निविदादाता की होगी। मासिक विद्युत बिल का भुगतान सफल निविदादाता द्वारा किया जाएगा। कक्ष में फोटो स्टट मशीन, फर्नीचर, स्टेशनरी तथा मशीन चालक की स्वयं को व्यवस्था करनी होगी।
3. सफल निविदादाता द्वारा आधुनिकतम तकनीक की कम से कम दो फोटो स्टेट मशीन स्थापित करनी होगी तथा स्थापित की जाने वाली मशीन से कार्यालय को अवगत कराना होगा।
4. बिजली बंद होने की स्थिति में निविदादाता को जनरेटर द्वारा प्रतिलिपियां तैयार करनी होगी। सफल निविदादाता को जनरेटर की व्यवस्था फोटो स्टेट मशीन स्थापित करते समय ही करनी होगी।
5. फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करने के लिए प्रथम प्रति, द्वितीय प्रति व उससे अधिक प्रतियों की न्यूनतम दरें जिन पर प्रतियां तैयार करने के इच्छुक है, अपने निविदा फॉर्म में अंकित करना आवश्यक है। साथ ही नक्शे/ए–3 साईज की दरें पृथक से अंकित करना होगा।
6. फोटो स्टेट कार्य हेतु गुणवत्तापूर्ण लीगल साइज का पेपर इस्तेमाल करना होगा। ऐसा नही करने पर कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये कागज पर प्रतिलिपियां तैयार की जावेगी जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा। निविदा फॉर्म के साथ उपयोग में लिये जाने वाले कागज का नमूना संलग्न करना आवश्यक है। फोटो स्टेट के काम में किये जाने वाला कागज अधिकृत विक्रेता से खरीद किये गये उस बिल की फोटो प्रति किये गये कार्य के भुगतान के बिल के साथ पेश करनी होगी।
7. फोटो स्टेट कॉपियर्स के लिए यह भी आवश्यक होगा कि प्रत्येक फोटो स्टेट प्रलेख/दस्तावेज की पृथक से रसीद जारी करेंगे एवं एक सामान्य रसीद भी जारी करेंगे।
8. सफल निविदादाता को दस्तावेज की गोपनीयता व सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा। गोपनीयता भंग किये जाने पर आवश्यक विधिक प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
9. निविदादाता को अजमेर स्थित न्यायालयों के लिए रूपये 3,678/– धरोहर राशि जमा करवाकर निविदा फॉर्म रसीद नं. व दिनांक अंकित करना होगा।
10. सफला निविदादाता अपने कार्य को राबलेट अथवा भाडे पर नहीं देगा।
11. सफल निविदादाता को अजमेर स्थित न्यायालयों के लिए रूपये 9,195/– प्रतिभूति निक्षेप राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
12. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निविदाकर्ता को होगा।
13. एक बार निविदा को जमा कराने पर उसे वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा।
14. सफला निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में एक बंधपत्र उपरोक्त शर्तों को समाविष्ट करते हुए रूपये 100/– के स्टाम्प पर भरकर देना होगा।
15. ठेका अवधि के दौरान श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 01 द्वारा जारी समस्त आदेशों व निर्देशों की पालना करने हेतु बाध्य रहूंगा।
16. बिना कोई कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
17. कॉपिंग हेतु शुल्क रूपये 1/– राउण्ड फिगर में लिया जायेगा।
18. विवादास्पद मामलों में न्यायिक क्षेत्र अजमेर रहेगा।

19.11.12

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–01,
किशनगढ़ जिला अजमेर।